भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 112B/2016-17

धीरेन्द्र महतो **बनाम** निर्मला महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

09.10.17

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 644 दिनांक 25.07.17 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 112 B/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता धीरेन्द्र महतो पिता–स्व० रंगलाल महतो, ग्राम–उलीडीह, थाना–सरायकेला, जिला– सरायकेला–खरसावॉ ने गृह निर्माण एवं परिवारिक खर्च हेतु क्रेता निर्मला महतो पति–हरिपद महतो, ग्राम–सिदाडीह, थाना–खरसावॉ जिला–सरायकेला –खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
दुगनी	199	507	176	0.15ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के नाम पर क्रय की गयी भूमि है। साथ ही विक्रेता के पिता स्व0 दुखु राम महतो के नाम से मौजा उलीडीह खाता नं0–23,24,25,26,03 एवं 19 में कुल भूमि 12.92 एकड़ हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक के हिस्से में 2.29 एकड़ जमीन है, विक्रेता का अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। जिसमें से 0.15 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.14 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.15 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

9.10.17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।